प्रेस नोट 11 अगस्त 2025 की अस्पतालों के निजीकरण के खिलाफ रैली और भुख हड़ताल के आयोजन पर

“अस्पताल बचाओ, निजीकरण हटाओ” कृति समिति 11 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के मुंबई में महत्वपूर्ण सार्वजनिक अस्पतालों के निजीकरण के जनविरोधी फैसले के विरोध में एक रैली का आयोजन करा था । इस निजीकरण की लिस्ट में लल्लूभाई कंपाउंड मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल और शताब्दी अस्पताल शामिल हैं, जो दोनों कम संसाधन वाले एम-ईस्ट वार्ड में स्थित हैं, और जिनके टेंडर पहले ही जारी हो चुके हैं। संयुक्त समिति, जिसमें निवासी समूह, लोगों के समूह, यूनियन, गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य अधिकार समूह और राजनीतिक दलों सहित 25 से अधिक संगठन शामिल हैं | एम-ईस्ट वार्ड के निवासियों के साथ समिति ने पहले भी इन टेंडरों और बीएमसी के मुंबई भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के निजीकरण के इरादे के खिलाफ 7 जुलाई 2025 को एम-ईस्ट वार्ड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करा था।

इस बार समिति ने अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के निजीकरण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए 11 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र नगर प्रसूति गृह में एक रैली और भूख हड़ताल का आयोजन किया। इस रैली का अतिरिक्त उद्देश्य एम-ईस्ट वार्ड में सरकारी प्रसूति गृहों की स्थिति पर प्रकाश डालना और उनके तत्काल उचित संचालन की मांग उठाना था। रैली चीता कैंप प्रसूति गृह से सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और महाराष्ट्र नगर प्रसूति गृह में समाप्त हुई, रैली में चीता कैंप और महाराष्ट्र नगर के 100 से अधिक निवासियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र नगर प्रसूति गृह में समिति के 20 से अधिक सदस्य एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे और 250 लोग सरकारी प्रसूति गृहों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए एकजुटता में शामिल हुए। समर्थन में 20 से अधिक संगठन विरोध स्थल पर मौजूद थे। लोगो के बलप्रदर्शन को देख कर बीएमसी अधिकारी को मजबूरन प्रदर्शन स्थल पर आना पढ़ा | MOH ने लोगों की माँगों पर ध्यान दिया और उठाए गए मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों और समिति को आगामी 10 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के एएमसी और डीएमसी के साथ बैठक कर माँगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस जीत के साथ ही धरना और भूख हड़ताल को समाप्त करा गया।

विरोध स्थल पर उन परिवारों को श्रद्धांजलि दी गयी जिन्होंने अस्पतालों के बदतर हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की कमी के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। बीएमसी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और सुविधाओं की भारी कमी है। शाहजी नगर और देवनार मैटरनिटी जैसे छोटे अस्पतालों में आने वाली आधी से ज़्यादा महिलाओं को सीधे सायन या राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया जाता है, जिनमें से कई की हालत गंभीर होती है। समय पर इलाज न मिलने के कारण कई मरीज़ रेफरल की भीड़ में दम तोड़ देते हैं। जो मरीज़ भर्ती होते हैं, उनके लिए यात्रा, दवाइयों, लैब टेस्ट और भोजन का खर्च कुछ ही दिनों में परिवार को कर्ज में डुबो देता है। अनुभवी स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण कई अस्पतालों और प्रसूति गृहों में आईसीयू, एनआईसीयू संचालित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र नगर मैटरनिटी होम का बंद रहना एम-ईस्ट वार्ड की माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाल ही में ऐसे कई और मामले सामने आए हैं जहाँ बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के जनविरोधी फेसलो के कारण एम-ईस्ट वार्ड के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार से समझौता किया गया है।

एम-ईस्ट वार्ड पहले से ही मुंबई में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्वास्थ्य क्षेत्र है। हालाँकि यहाँ शहर की 6.7% आबादी रहती है, लेकिन 2021 में मातृ मृत्यु का 16% हिस्सा यहीं था। आधे से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं और 2014 से 2023 के बीच टीबी के मामलों में 300% की वृद्धि हुई है। देवनार डंपिंग ग्राउंड और एसएमएस बायोवेस्ट प्लांट के नज़दीक होने के कारण श्वसन संबंधी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। 2023 में BMC के डेटा के अनुसार, मुंबई में हर 100 मौतों में से 9 मौतें अस्थमा (9.16%) से संबंधित हैं जो एम् ईस्ट वार्ड में होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ़ 39 साल है, जबकि मुंबई में यह 56.8 और राष्ट्रीय स्तर पर 63.7 साल है।

एम-ईस्ट वार्ड के ज़्यादातर नागरिक झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और उन्हें नियमित रूप से पौष्टिक भोजन भी नहीं मिलता। इस संदर्भ में, प्रभावी सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ जीवन और मृत्यु का मामला बन जाती हैं। हालांकि, वर्तमान में, इस वार्ड में केवल एक प्रमुख नगरपालिका अस्पताल और 18 क्लीनिक काम कर रहे हैं, जो क्षेत्र की जरूरतों की तुलना में बहुत अपर्याप्त हैं।

इस अस्वीकार्य स्थिति को लाने के लिए बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ज़िम्मेदार हैं, और वे मुंबई में अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण पर और ज़ोर दे रहे हैं। मुंबई के 6 बड़े अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिनमें 580 बिस्तरों वाला शताब्दी अस्पताल और 410 बिस्तरों वाला लल्लूभाई कंपाउंड अस्पताल शामिल हैं। महाराष्ट्र नगर मैटरनिटी होम का निर्माण तीन साल पहले जनता के पैसे से पूरा हुआ था, लेकिन इसे अभी तक जनता के लिए नहीं खोला गया है क्योंकि सरकार को इसे खरीदने वाला ठेकेदार नहीं मिला है! बाकी सभी अस्पतालों में एक्स-रे, एमआरआई और लैब की सुविधाएँ ठेकेदारों को दी जा रही हैं। आया, मौसी से लेकर डॉक्टर और नर्स तक, सभी पद ठेके पर रखे जा रहे हैं। जनता की तकलीफो में और जोड़ने के लिए, बीएमसी ने घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल को भी निजीकरण किए जाने वाले सार्वजनिक अस्पतालों की सूची में जोड़ने का इरादा साफ़ कर दिया है। इन टेंडर को बीएमसी द्वारा 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (पीपीपी) के बजाय "नागरिक स्वास्थ्य सहयोग मॉडल" के रूप में पेश किया जा रहा है ताकि निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों को बेच कर बीएमसी अपने असली लक्ष्य को किसी भी हाल में पूरा कर सके। भगवती अस्पताल के निजीकरण को रोकने में नगरपालिका कर्मचारी संघ की जीत के बाद से, बीएमसी अब इस अस्पताल के भीतर कुछ प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं जैसे हेमोडायलिसिस केंद्र, सोनोलॉजी सेवाएं, कैथ लैब सुविधाओं के साथ संपूर्ण कार्डियोलॉजी विभाग, एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधाएं, और यहां तक कि रक्त आधान की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए एक ब्लड बैंक के निजीकरण के लिए बीएमसी पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास कर रही है।

यह रैली मुंबई के हर मज़दूर वर्ग और उसके परिवार पर आने वाले संकट को उजागर करने के लिए आयोजित की गयी थी| यह सभी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों और जनसमूहों से स्वास्थ्य के अधिकार और अस्पतालों के निजीकरण के ख़िलाफ़ इस समिति की लड़ाई में शामिल होने का एक ज़रूरी आह्वान है। मुंबई के नागरिक मुनाफ़े के लिए सरकार द्वारा उनके जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।

आज उठाई गई हमारी माँगें थीं:

1. महाराष्ट्र नगर प्रसूति गृह को तत्काल शुरू किया जाए और सभी पदों पर तुरंत भर्ती की जाए।
2. शाहजी नगर (चीता कैंप), देवनार और शिवाजीनगर मैटरनिटी होम और शहर के सभी प्रसूति गृहों की रिक्त पदों में तुरंत भर्ती की जाए । इन सारे अस्पतालों में शिशु आयसीयू (NICU) तुरंत बहाल किया जाए ।
3. शताब्दी अस्पताल, लल्लूभाई कंपाउंड अस्पताल और सभी बीएमसी अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल में चलाने की योजना तुरंत रद्द की जाए।
4. शहर के सभी अस्पतालों की निर्धारित पदों को सलीम मर्चेंट समिति के मानकों तक लाया जाए और सभी रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया 30 दिन में शुरू की जाए।
5. सभी सरकारी अस्पतालों में एक बोर्ड स्पष्ट रूप से लगाया जाए, जिसमें साफ़ लिखा हो कि किसी भी मरीज़ को आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज़ के अभाव में इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा।

6. शहर की सभी सरकारी अस्पतालों की सेवाएं सुधारने के लिए समग्र योजना बनायी जाए। महापालिका यह सार्वजनिक घोषणा करे कि हर व्यक्ति को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं अधिकार के तौर पर मिलेंगी - किसी को भी इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा।
7. विभाग के सभी अस्पतालों एवं दवाखानों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और निराकरण के लिए हर हफ्ते विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी के साथ "समस्या निवारण बैठक" रखी जाए।

अस्पताल बचाओ, निजीकरण हटाओ कृति समिति